ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धामी, जिला शिमला (हि0प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 08/2024 तारीख मरजुआ : 04–12–2024 तारीख पेशी : 30–12–2024

ईश्वर दास पुत्र स्व0 श्री धनी राम, गांव पन्याली, डा0 चनावग, उप–तहसील धामी, जिला शिमला (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती बारे प्रार्थना–पत्र।

प्रार्थी ईश्वर दास पुत्र स्व0 श्री धनी राम, गांव पन्याली, डा0 चनावग, उप–तहसील धामी, जिला शिमला (हि0प्र0) द्वारा दिनांक 04–12–2024 को प्रार्थना–पत्र इस आशय के साथ इस अदालत में प्रस्तुत किया है कि भू–राजस्व अभिलेख मौजा पन्याली में प्रार्थी का नाम ईशरु पुत्र धनु दर्ज राजस्व कागजात है जोकि गलत है। प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र को छानबीन हेतु पटवारी हल्का सोहल को भेजा गया। पटवारी पटवार वृत्त सोहल से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक मौजा पन्याली में प्रार्थी का नाम ईशरु पुत्र धनू दर्ज है जबकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गए दस्तावेजों, आधार कार्ड, आयकर कार्ड, ग्राम पंचायत नैहरा से जारी परिवार नकल, शपथ पत्र तथा ब्यानात वाशिन्दगान के अनुसार प्रार्थी का नाम ईश्वर दास है जो सही है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर मौजा पन्याली पटवार वृत्त सोहल में प्रार्थी का नाम ईशरु उर्फ ईश्वर दास पुत्र धनु दर्ज किया जाना वाजिब है।

अतः इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त मुकद्दमा नाम दुरुस्ती बारे कोई भी उजर व एतराज हो तो स्वयं या लिखित तौर पर दिनांक 30–01–2025 को अपराह्न 2.00 बजे तक इस अदालत में अपना उजर/ एतराज पेश करे, अन्यथा यह समझा जायेगा कि किसी भी सम्बन्धित व्यक्ति को इस मुकद्दमा नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर/एतराज न है तथा आवेदन–पत्र को अन्तिम रूप दिया जायेगा व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज तारीख 30–12–2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/–
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप–तहसील धामी, तहसील व जिला शिमला (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत श्री प्रेम सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, सराहन, जिला शिमला (हि0प्र0)

नं0 मुकद्दमा : 6/2025 तारीख दायर : 03–01–2025 अगली सुनवाई : 04–02–2025

श्रीमती मोनिका पत्नी श्री अनिल कुमार, निवासी गांव नैनी, डा0 ज्यूरी, उप–तहसील सराहन, जिला शिमला (हि0प्र0) . . वादिया।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी।

विषय.——प्रार्थना—पत्र बाबत नाम दुरुस्ती बारे।

श्रीमती मोनिका पत्नी श्री अनिल कुमार, निवासी गांव नैनी, डा0 ज्यूरी, उप—तहसील सराहन, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस कार्यालय में अपने पुत्र जैतविक की नाम दुरुस्ती करवाने बारे आवेदन पत्र व ब्यान हल्फी दिया है। प्रार्थिया ने आवेदन किया की उसके पुत्र का नाम परिवार रजिस्टर नकल व जन्म प्रमाण—पत्र में जैतविक है जब कि आधार कार्ड में रियान दर्ज है, जोकि गलत है तथा आवेदन किया है कि आवेदिका के पुत्र का नाम आधार कार्ड में रियान पुत्र अनिल कुमार के स्थान पर जैत्विक पुत्र अनिल कुमार दर्ज करने के आदेश किये जायें।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि जैत्विक पुत्र अनिल कुमार नाम दुरुस्ती बारे किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार का उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 04—02—2025 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 09—01—2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सराहन, जिला शिमला (हि0प्र0)।

——————————